59

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
उत्तर रेलवे/ जगाधरी वर्कशॉप,

पत्र संख्या -974-ई/ हित/ COVID-19 / ज०व०
दिनांक-19.04.2020

सभी अधिकारी,
सभी वरि० खंड० अभी०/ पर्यवेक्षक,
जगाधरी - कालका वर्कशॉप|

विषय- लॉकडाउन की अवधि के दौरान जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप का आवश्यक गतिविधियों हेतु चलाना|

सन्दर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 23.03.2020, 24.03.2020, 30.03.2020 एवं 15.04.2020.
(ii) रेलवे बोर्ड के समसंख्यक पत्रांक दिनांक-17.04.2020.
(iii) गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक-15.04.2020

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांकों (i) द्वारा जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप को COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉक डाउन को देखते हुए दिनांक19.04.2020 तक बंद रखने के आदेश दिए गये थे| अब रेलवे बोर्ड के सन्दर्भित पत्रांक (ii) दिनांक–17.04.2020 के द्वारा आदेश एवं गृह मंत्रालय के (iii) पर सन्दर्भित आदेशों के अनुसार सरकार द्वारा दिनांक-20.04.2020 से सीमित इंडस्ट्रियल गतिविधियों को खोलने हेतु शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान कर दी गई है |

अतः दिनांक 20.04.2020 से जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप द्वारा निर्मित Standard Detailed Operating Procedure (SDOP) के अनुसार सीमित गतिविधियों के लिए खोला जाएगा| **इन गतिविधियों के लिए जिन भी नामित कर्मचारियों को अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा बुलाए जाने पर वह कार्य स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे |**

इस विषय में समय-समय पर जारी COVID-19 के समस्त परामर्शों एवं Standard Detailed Operating Procedure (SDOP) का भी कड़ाई से पालन करना सभी स्तर पर सुनिश्चित किया जाएं|

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है|

19/4/2020

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक
उत्तर रेलवे /जगाधरी वर्कशॉप

प्रतिलिपी/ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. सभी अधिकारीगण जगाधरी वर्कशॉप एवं कालका वर्कशॉप|
2. सभी यूनियन/ असोसियेशन (यांत्रिक- विधुत) ज०व० एवं कालका वर्कशॉप|
3. कंपनी कमांडर रेलवे सुरक्षा बल|

[Type text]

Scanned with CamScanner